



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITYसं. 58]
No. 58]नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 9, 2007/फाल्गुन 18, 1928
NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 9, 2007/PHALGUNA 18, 1928विद्युत मंत्रालय
(केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण)
अधिमूचना

नई दिल्ली, 21 फरवरी, 2007

सं. 12/एस/एस. टी. डी. (कॉन्)/ग्रिड/के. वि. प्रा.—उपरोक्त विद्युत (पूर्व प्रकाशन के लिए प्रक्रिया) नियमावली, 2005 के नियम 3 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का सं. 36) की धारा 177 की उप-धारा (3) द्वारा यथा अपेक्षित केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (ग्रिड के संयोजन के लिए तकनीकी मानक) विनियम, 2006 के मसौदे को प्रकाशित किया गया था।

अतः अब, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 177 की उप-धारा (2) के साथ पठित धारा 7 और धारा 73 के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ग्रिड के संयोजन के लिए तकनीकी मानकों के विनियमन के लिए एतद्द्वारा निर्धारित विनियम तैयार करता है, नाममात्र :-

1. अल्प नाम तथा प्रवर्तन

- (1) इन विनियमों को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (ग्रिड के संयोजन के लिए तकनीकी मानक) विनियमन, 2007 के नाम से जाना जाएगा;
- (2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. परिभाषाएँ

इन विनियमों में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,

- (1) "अधिनियम" से अधिप्राय विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का सं. 36) से है;
- (2) "उपयुक्त भार प्रेषण केन्द्र" से अधिप्राय है राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र (एनएलडीसी), क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र (आरएलडीसी) अथवा राज्य भार प्रेषण केन्द्र (एसएलडीसी) अथवा क्षेत्र भार प्रेषण केन्द्र, जैसा भी संदर्भ हो;
- (3) "क्षेत्र भार प्रेषण केन्द्र" से अधिप्राय है राज्य के एक विशेष क्षेत्र में भार प्रेषण एवं नियंत्रण के लिए राज्य द्वारा यथा-स्थापित केन्द्र;
- (4) "उपयुक्त संचारण वृटिलिटी" से अधिप्राय है केन्द्रीय संचारण वृटिलिटी अथवा राज्य संचारण वृटिलिटी, जैसा भी संदर्भ हो;
- (5) "स्वचालित उत्पादन नियंत्रण" (एजीसी) से अधिप्राय है विद्युत संचरण उत्पादन, टर्बो-लाइन विद्युत प्रवाह और विद्युत प्रणाली आवृत्ति को संदर्भ में चुनिन्दा इकाइयों के विद्युत उत्पादन को विनियमित करने की क्षमता से है;

- (6) "स्वचालित वोल्टेज रेगुलेटर" (एवीआर) से अभिप्राय एक उत्पादक यूनिट टर्मिनल वोल्टेज को विनियमित करने के लिए सतत आधार पर कार्य कर रही स्वचालित उद्दीपन नियंत्रण प्रणाली से है;
- (7) "ब्रिटिश मानक" (बीएस) से अभिप्राय उन मानकों और विनिर्देशनों से है, जिन्हें ब्रिटिश मानक संस्थान द्वारा स्वीकृत किया गया है;
- (8) "बल्क उपभोक्ता" से अभिप्राय उस उपभोक्ता से है जो 33 कि.वो. अथवा अधिक को वोल्टेज पर आपूर्ति प्राप्त करता है;
- (9) एक वि-फलक प्रणाली में एक स्थल में "भू-दोष गुणक" से अभिप्राय होता है कि भू-दोष (एक या अधिक फलकों को प्रभावित करने वाला) के दौरान एक सुदृढ़ फलक पर फेज से भूमि तक विद्युत प्राधिकता वोल्टेज के उच्चतम वर्ग माध्य मूल का अनुपात जो बिना दोष के चयनित स्थलों पर प्राप्त किया गया हो;
- (10) "भू-सम्पर्कन" से अभिप्राय है कि एक भू-सम्पर्कन साधन द्वारा चालक पुंजों और भू-सम्पर्क के सामान्य दृश्यमान के बीच संयोजन;
- (11) "ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली" (ईएमएस) से अभिप्राय सुरक्षा, विश्वसनीयता तथा मितव्ययिता कायम रखते हुए एक विद्युत प्रणाली के प्रचालन को सुचारु बनाने के लिए साप्ताहिक सहित एक सम्पूर्ण प्रणाली से है;
- (12) "ईथेंट लाइविंग सुविधाओं" से अभिप्राय प्रसारण तथा अन्य उपकरणों के प्रचालनों को कालक्रमिक अनुक्रम में रिकॉर्ड करने के लिए उपलब्ध कटाए गए एक साधन से है;
- (13) "आवृत्ति" से अभिप्राय प्रति सेकेंड प्रत्यापत्ति चक्रों की संख्या (हर्ट्ज में व्यक्त) से है;
- (14) "उत्पादक इकाई" से अभिप्राय उस विद्युत उत्पादक से है जो एक विद्युत केन्द्र के भीतर उस विद्युत केन्द्र पर सभी संयंत्र और उपकरणों के साथ (संयोजन बिन्दु तक) एक मुख्य प्रवर्तक से जुड़ी है और जो सिर्फ उस जनरेटर के प्रचालन से संबंधित है;
- (15) "आईईसी मानक" से अभिप्राय अंतर्राष्ट्रीय विद्युत तकनीकी आयोग द्वारा अनुमोदित मानक से है;
- (16) "भारतीय मानक" (आईएस) से अभिप्राय भारतीय मानक संस्थान द्वारा विनिर्दिष्ट मानकों से है;
- (17) "अंतःसंयोजन बिन्दु" से अभिप्राय उस उप-केन्द्र अथवा स्विच यार्ड से है जिस पर अनुरोधकर्ता तथा ग्रिड के बीच अंतःसंयोजन स्थापित किया गया है;
- (18) "आईसेलेटर" से अभिप्राय विद्युत प्रणाली के एक हिस्से का दोष प्रणाली से वियोजन प्राप्त करने के एक साधन से है;
- (19) एक उत्पादन इकाई के "अधिकतम अखिल निर्धारण" (एमसीआर) से अभिप्राय निर्धारित मापदंडों पर विनिर्माता द्वारा गारंटी दिए गए जनित्र टर्मिनल पर मेगावाट में अधिकतम अखिल उत्पादन से है;
- (20) "नई इकाई" से अभिप्राय उस उत्पादक इकाई से है जिसके लिए अनुरोधकर्ता ग्रिड के संयोजन की मांग कर रहा है;
- (21) "विद्युत कारक" से अभिप्राय एक ऐसी इलेक्ट्रीकल सर्किट में वोल्टेज और करंट का प्लेक्सर के बीच इलेक्ट्रीकल कोण को कोटिंग्या (कोसाइन) से है;
- (22) "विद्युत प्रणाली स्टेबिलाइजर" (पीएसएस) से अभिप्राय उस नियंत्रक उपकरण से है जो एक समकालिक मशीन के विद्युत सेलन अवमंदन के लिए वोल्टेज नियंत्रक के माध्यम से उत्तेजन को नियंत्रित करने के लिए गति, प्राधिकता तथा विद्युत के निर्विष्ट सिग्नलों को ग्रहण करता है;
- (23) "संरक्षण प्रणाली" से अभिप्राय उस उपकरण से है जिसके द्वारा ग्रिड में अनियमित परिस्थितियों का पता लगाया जाता है तथा प्रचालक द्वारा बिना हस्तक्षेप के दोष क्लीयरेंस, संवाहन संकेत अथवा निर्देशन आरंभ किए जाते हैं;
- (24) ऐसी विद्युत प्रणाली में "प्रतिधारी विद्युत" से अभिप्राय है धारा माध्य मूल (आरएमएस) वोल्टेज, वर्ग माध्य मूल (आरएमएस) धारा तथा वोल्टेज का प्लेक्सर तथा धारा का प्लेक्सर के बीच वैद्युत फलक कोण की ज्या (साइन) का प्रतिफल, जो वोल्टेज एम्प्लिफर प्रतिघाता (प्रीआर) मानक गुणक में अभावित है;
- (25) "अनुरोधकर्ता" से अभिप्राय है कोई व्यक्ति जैसे एक उत्पादक कंपनी कोटिङ उत्पादक संयंत्र सहित अथवा संचार लाइसेंस-धारक (केन्द्रीय पारेषण यूटिलिटी और राज्य पारेषण यूटिलिटी को छोड़कर), वितरण लाइसेंसधारक अथवा बल्क उपभोक्ता जो 33 कि.वो. और उससे अधिक के वोल्टेज स्तर पर ग्रिड से अपने नए अथवा विस्तारित वैद्युत संयंत्र का संयोजन प्राप्त कर रहा है;
- (26) "स्काफा" से अभिप्राय है पर्यवेक्षक नियंत्रण तथा डाटा अर्जन प्रणाली, जो संचार संयोजनों पर दूरस्थ स्थलों से डाटा अर्जित करती है तथा प्रयोग, पर्यवेक्षण नियंत्रण के साथ-साथ निर्णय लेने के लिए केन्द्रीकृत नियंत्रण स्पल पर प्रक्रमण करती है;
- (27) "स्पल संज्ञा उद्देख" से अभिप्राय है एक उद्देख जिसे एक संयोजन स्थल जो संयोजन स्थल का व्यापार करता है, संज्ञा पुरखा तथा नियंत्रण उद्देखों को संज्ञा सेवाओं को दर्शाने के लिए तैयार किया गया है;

- (28) "स्थल उत्तरदायित्व अनुसूची" (एसआरएस) से अभिप्राय है अंतःसंयोजन बिन्दु पर उत्पन्न कर के नियंत्रण, प्रचालन तथा अनुसंधान के लिए स्वायत्त, स्थित्व दर्शने के लिए एक अनुसूची है;
- (29) "प्रणाली संरक्षण स्कीम" से अभिप्राय एक ऐसी स्कीम से है जो असामान्य प्रणाली परिस्थितियों का पता लगाने के लिए तैयार की गई है और जो प्रणाली सम्पूर्णता के संरक्षण के लिए पूर्वनिर्धारित, उपचारात्मक कार्रवाई कर सके और स्वीकार्य प्रणाली निष्पादन उपलब्ध करा सके;
- (30) "ताप विद्युत उत्पादक इकाई" से अभिप्राय उस उत्पादक इकाई से है जो जोखिम ईंधन जैसे कोयला, लिग्नाइट, गैसीय तथा तरल ईंधन का प्रयोग कर रही है;
- (31) "कुल हार्मोनिक विकृति" (टीएचडी) से अभिप्राय चोल्डता अथवा करंट भार रूप (जो आदर्शतः ज्यवाक्रिय होगा) की विकृति का माप है और यह मूल की मात्रा के प्रतिशत के रूप में व्यक्त सभी खेल्डता के वर्गों का योग अथवा करंट हार्मोनिक का वर्गमूल है;
- (32) "संचारण प्रणाली" से अभिप्राय है संचारण लाइनों तथा उप केन्द्रों का नेटवर्क;
- (33) "अंदर आधुनिक प्रसारण" से अभिप्राय है एक ऐसा प्रसारण जो तब कार्य करता है जब प्रणाली प्रायिकता पूर्व-निर्धारित मूल्य से नीचे गिर जाती है;
- (34) "उपभोक्ता" से अभिप्राय है कोई व्यक्ति जैसे एक उत्पादक कंपनी कोटिब उत्पादक संयंत्र सहित अथवा संचारण लाइसेंसधारक (केन्द्रीय पारेषण यूटिलिटी और राज्य पारेषण यूटिलिटी के अतिरिक्त), वितरण लाइसेंसधारक अथवा बल्क उपभोक्ता जिसका इलैक्ट्रिकल संयंत्र 33 कि.वो. और इससे अधिक के चोल्डता स्तर पर ग्रिड से जुड़ा है; और
- (35) "चोल्डता असंतुलन" तीनों फेजों की औसत लाइन चोल्डता द्वारा विभाजित उच्चतम और न्यूनतम लाइन के बीच विचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है।

प्रयुक्त शब्दों तथा अभिव्यक्तियों, जिनको इन विनियमों में परिभाषित नहीं किया गया है लेकिन अधिनियम में परिभाषित हैं, के लिए अधिनियम में इनके लिए जो अर्थ दिए गए हैं, वही रहेंगे।

3. विनियमों की प्रयोग्यता

ये विनियम सभी उपभोक्ताओं, अनुरोधकर्ताओं, केन्द्रीय पारेषण यूटिलिटी तथा राज्य पारेषण यूटिलिटी पर लागू होंगे।

4. उद्देश्य

- (1) इन विनियमों का उद्देश्य ग्रिड का सुरक्षित प्रचालन, सुव्यवस्था तथा विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने के लिए है।
- (2) तब संयोजन का ग्रिड पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। ग्रिड केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (संचारण लाइनों के प्रचालन एवं रख-रखाव के लिए ग्रिड मानदंड) विनियम जैसे और जब भी वे लागू होंगे, के अनुसार विशिष्टीकृत विश्वसनीयता, सुरक्षा तथा पुनर्गता के साथ कार्य करना जारी रखेंगे। तथापि अनुरोधकर्ता अथवा उपभोक्ता के संयंत्र और उपकरणों के संरक्षण के लिए इन विनियमों पर भरोसा नहीं किया जा सकता।
- (3) एक अनुरोधकर्ता को ग्रिड में शामिल होने के लिए अपनी प्रणाली द्वारा पूरा किए जाने वाले मानकों और शर्तों की पहली से ही जानकारी होना अपेक्षित है।

5. मानक

उपकरण ग्रिड से संयोजन के लिए तकनीकी मानकों के प्रावधानों के अनुसरण में आवश्यकताओं को पूरा करेंगे जैसा कि इन विनियमों को अनुसूची और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (संचारण लाइनों के प्रचालन एवं रख-रखाव के लिए ग्रिड मानदंड) विनियम, जैसे और जब भी वे लागू होंगे, और ग्रिड कोड तथा स्टेट ग्रिड कोड जैसाकि उपयुक्त आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया है, में दिया गया है।

6. सामान्य संयोजन परिस्थिति

- (1) अनुरोधकर्ता विनिर्माण, प्रचालन और रख-रखाव तथा संयोजन एवं अन्य सांघिक प्रावधानों के लिए विनियमों के अध्याधीन अपने स्वयं के उपकरणों की योजना, अभिकल्प, विनिर्माण, विश्वसनीयता, संरक्षण तथा सुरक्षित प्रचालन के लिए उत्तरदायी होगा।
- (2) अनुरोधकर्ता तथा उपभोक्ता को ग्रिड के साथ अंतःसंयोजन की अनुमति देने के लिए उपयुक्त संचारण यूटिलिटी अथवा लाइसेंसधारक अथवा उत्पादक स्टेशन, जिसकी प्रणाली द्वारा अंतःसंयोजन का प्रस्ताव है, द्वारा आंकड़े प्रस्तुत करना गण्येय है।

- (3) अनुरोधकर्ता तथा उपभोक्ता आवाज और आंकड़ों के संचारण तथा ऑन-लाइन प्रचलनात्मक आंकड़ों के हस्तान्तरण जैसे वोल्डटा, आवृत्ति, लाइन प्रवाह, बेकर एवं आइसोलेटर की स्थिति तथा उपयुक्त भार प्रेषण केन्द्र द्वारा यथा-निर्धारित अन्य मानकों के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे।
- (4) अनुरोधकर्ता तथा उपभोक्ता नीचे सूची में दिए गए मामलों, किन्तु इन तथा समित नहीं, के संबंध में क्षेत्रीय विद्युत समिति तथा उपयुक्त भार प्रेषण केन्द्रों के साथ सहयोग करेंगे :-
- (क) इसके संरक्षणात्मक प्रसारण का तदनुसार संरक्षण समन्वय तथा सेंटिंग;
- (ख) अपने अधिकार क्षेत्र में मीटरों और संचारण प्रणाली को अक्षम स्थिति में रखने को सहमत;
- (ग) उपयुक्त भार प्रेषण केन्द्र द्वारा यथा-निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संभव्यता प्रचालनों जैसे लोड रीडिंग, उत्पादन को बढ़ाना अथवा कम करना, आईलैंडिंग, ब्लैक स्टार्ट, स्टार्ट-अप पावर उपलब्ध कराना तथा मरम्मत में भाग लेना;
- (घ) प्रणाली अध्ययन अथवा डिज़िनिंग के विश्लेषण को सुकर बनाने अथवा विद्युत प्रणाली में व्यवधान के लिए उपयुक्त संचारण यूटिलिटी अथवा संचारण लाइसेंसधारक, उपयुक्त भार प्रेषण केन्द्र, उपयुक्त क्षेत्रीय विद्युत समिति तथा प्राधिकरण अथवा उपयुक्त सरकार द्वारा गठित कोई अन्य समिति द्वारा यथा-अपेक्षित आंकड़े प्रस्तुत करना;
- (ङ) शार्ट-सर्किट टेबल, संरक्षण समन्वय तथा प्रचालन आवश्यकताओं के कारण आवश्यक माने गए अन्य तकनीकी कारणों के संबंध में उसके उपकरणों में संशोधन करना;
- (च) क्षेत्रीय विद्युत समिति द्वारा यथा-अनुमोदित उत्पादन इकाईयों तथा संचारण लाइनों के संबंध में राजन और क्षेत्र के समन्वित कानबंदी योजना का पालन करना; और
- (छ) उत्पादन इकाई की उद्दीपन प्रणाली में उपलब्ध कराए गए विद्युत प्रणाली स्टैबलाइज़र की ट्यूनिंग के लिए क्षेत्रीय विद्युत समिति के साथ सहयोग करना।
- (5) अनुरोधकर्ता तथा उपभोक्ता अपनी प्रणाली के नियंत्रण और टैली-मीटरिंग विशेषताओं का स्वचालित उत्पादन नियंत्रण, स्वचालित भार रीडिंग, विशेष संरक्षण प्रणाली, ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली और संबंधित अन्य अथवा क्षेत्र की स्काफा प्रणाली में समन्वय करने के लिए प्रबंध करेंगे।
- (6) अंतःसंयोजन अध्ययन के लिए, अनुरोधकर्ता उपयुक्त संचारण यूटिलिटी के पास योजना अवस्था में संयोजन के लिए अनुरोध कर सकता है। यदि एक अनुरोधकर्ता वितरण प्रणाली से अंतःसंयोजन की मांग करता है तो ऐसा अनुरोध वितरण लाइसेंसधारक के पास किया जाएगा। उपयुक्त अंतःसंयोजन यूटिलिटी अथवा वितरण लाइसेंसधारक अंतःसंयोजन उपलब्ध कराने के लिए अंतःसंयोजन का केन्द्र निर्धारित करने, अपेक्षित अंतःसंयोजन सुविधाएं तथा मौजूदा ग्रिड पर अपेक्षित संशोधन, यदि कोई हो, का अंतःसंयोजन अध्ययन कर सकता है। अध्ययन में संचारण प्रणाली क्षमता, परिणामन स्थिरता, वोल्डटा स्थिरता, हावि, वोल्डटा विनियमन, हारमोनिक, वोल्डटा फ्लिकर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक परिणामन, मशीन डाइनेमिक्स, फेरी रेजोनेंस, मीटरिंग आवश्यकताएं, संरक्षणात्मक प्रसारण, उपस्थल धू-समर्पक तथा दोष ड्यूटी, जैसा भी मामला हो, का भी समाधान किया जाएगा।
- (7) (1) ग्रिड के साथ अनुरोधकर्ता की प्रणाली का प्रत्येक संयोजन अनुरोधकर्ता और
- (क) अंतराज्य संचारण प्रणाली अथवा अंतराज्य संचारण प्रणाली, जैसा भी संदर्भ हो, को संयोजन के मामले में उपयुक्त संचारण यूटिलिटी;
- (ख) वितरण लाइसेंसधारक की प्रणाली के अंतःसंयोजन के मामले में वितरण लाइसेंसधारक; और
- (ग) संचारण लाइसेंसधारक और उपयुक्त संचारण यूटिलिटी, एक संचारण लाइसेंसधारक के अंतःसंयोजन के मामले में (त्रिपक्षीय करार)।
- (2) संयोजन करार में उस संयोजन पर लागू सामान्य और विशिष्ट तकनीकी स्थितियां शामिल होंगी।

7. स्थल उत्तरदायित्व अनुसूची

- (1) प्रत्येक संयोजन बिंदु के लिए उप-केन्द्र के स्वामी द्वारा जहां संयोजन लगाया जा रहा है, एक स्थल उत्तरदायित्व अनुसूची (एसआरएस) तैयार की जाएगी।
- (2) स्थल उत्तरदायित्व अनुसूची में निम्नलिखित सूचना शामिल की जाएगी, नामशः :-
- (क) इलेक्ट्रिकल उपकरण सेवा एवं आगुति की अनुसूची;
- (ख) दूरसंचार तथा मापन उपकरणों की अनुसूची; और
- (ग) प्रत्येक संयंत्र तथा उपकरण पर लागू सुरक्षा नियम।

- (3) संयोजन स्थल पर अधिष्ठापित उपकरणों की प्रत्येक मद के लिए स्थल उत्तरदायित्व अनुसूची में निम्नलिखित सूचना भी प्रस्तुत की जाएगी, नामशः :-
- (क) उपकरण का स्वाभित्त;
 - (ख) उपकरण के नियंत्रण का उत्तरदायित्व;
 - (ग) उपकरण के रख-रखाव का उत्तरदायित्व;
 - (घ) उपकरण के प्रचालन का उत्तरदायित्व;
 - (ङ) स्थल का मैनेजर;
 - (च) स्थल पर व्यक्तियों की सुरक्षा से संबंधित सभी मामलों का उत्तरदायित्व; और
 - (छ) स्थल पर उपकरणों की सुरक्षा से संबंधित सभी मामलों का उत्तरदायित्व ।

8. संयोजन स्थल पर पहुंच

वैद्युत संयंत्र के अनुरोधकर्ता अथवा प्रयोगकर्ता, जैसा भी मामला हो, लाइसेंसधारक अथवा उपयुक्त संयोजन यूटिलिटी अथवा उपयुक्त भार प्रेषण केन्द्र, जिसका उपकरण अधिष्ठापन, प्रचालन और उपकरण के रख-रखाव इत्यादि के लिए संयोजन स्थल पर अधिष्ठापित है अथवा अधिष्ठापित करने का प्रस्ताव है, को उचित पहुंच और अन्य अपेक्षित सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे ।

9. स्थल साझा अधिरोध

प्रत्येक संयोजन बिंदु के लिए स्थल साझा अधिरोध उप-केन्द्र के स्वामी, जहां संयोजन किया जा रहा है, के द्वारा तैयार किए जाएंगे ।

अनुसूची

(विनियम सं. 5 देखें)

ग्रिड में संयोजन के लिए मानक

भाग I

सामान्य

1. कार्यप्रणाली के मानक एवं कोड

- (1) अनुरोधकर्ता उपकरण अधिष्ठापन और इसके प्रचालन एवं प्रबोधन के संबंध में उद्योग सर्वोत्तम कार्यप्रणाली तथा लागू उद्योग मानकों का अनुसरण करेगा ।
- (2) ओवरहेड लाइनें और केबल सहित सभी उपकरण संगत भारतीय मानकों, ब्रिटिश मानकों (बीएस) अथवा अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक तकनीकी आयोग (आईईसी) मानक अथवा अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट (एनएसआई) अथवा किसी अन्य समान अंतर्राष्ट्रीय मानक का अनुपालन करेंगे ।
बशर्ते की जब भी किसी अंतर्राष्ट्रीय मानक अथवा अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक तकनीकी आयोग (आईईसी) मानक का अनुसरण किया जाता है तो उक्त मानकों को वास्तव में अंगीकार करने के पहले अधिहित प्रणाली प्राधिकृत, अधिहित प्रणाली शैल्युता, परिवेशी तापमान, आर्द्रता तथा धारा में प्रचलित अन्य परिस्थितियों के लिए आवश्यक सुधार अथवा संशोधन किए जाएंगे ।
- (3) संयोजित सुविधाओं के आरेखन और प्रचालन में वायु, तूफान, बाढ़, तड़ित, उद्विग्लेप, तापमान आधिक्य, आईसिंग, प्रदूषण और भूकम्प के प्रभावों पर विचार किया जाना चाहिए ।
- (4) अनुरोधकर्ता द्वारा उपकरण का अधिष्ठापन, प्रचालन तथा रख-रखाव अधिनियम की धारा 177 तथा भाग 73 के अंतर्गत प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट संगत मानकों के अनुसार होगा, जब कभी वे लागू हों ।

2. सुरक्षा

अनुरोधकर्ता भारतीय विद्युत अधिनियम, 1956 के विनियमों का तब तक अनुपालन करेगा, जब तक कि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा एवं विद्युत आपूर्ति) विनियम लागू नहीं होते ।

3. उपकेन्द्र भू-संपर्कन

प्रत्येक संयोजन उपकेन्द्र का एक भू-संपर्कन मेट होगा जो सभी धात्विक ढांचों और अन्य गैर-ऊर्जावित धात्विक उपकरण से सुदृढ़ रूप से जुड़ा हुआ । यह मेट भू-संपर्क संभाव्यता प्रणाली को ऐसे वोल्टेज और करंट स्तरों तक सीमित करेगा जो लोगों की सुरक्षा को खतरे में नहीं डालेगा अथवा उसमें लगे उपकरणों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, समयान्तर और खराबी की स्थिति में, स्टेशन अथवा स्टेशन से पारसंय में ।

792 GI/07-2